

1.	विभाग	पशुपालन
2.	योजना का नाम –	चिकित्सा
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	बीमार पशुओं को उपचार प्रदान कर स्वस्थ करना एवं आकस्मिक दुर्घटना के समय त्वरित उपचार प्रदान कर प्रभावित पशुओं को राहत प्रदान करना।
4.	पात्रता की अर्हता–	समस्त पशुपालक
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	समस्त पशुपालक अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय पर सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
6.	लिंक वेबसाईट	http://animalhusb.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक पशुपालन, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।